मीरास व वसीयत से संबंधित मसाइल

1- मीरास का क़ानून शरीअत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मुसलमानों के लिए इसी के अनुसार तर्का का बांटना शरअी कर्तव्य है। अतः यदि किसी देश में मुसलमानों के लिए शरीअत के आदेशों के अनुसार मीरास की व्यवस्था लागू न हो तो वहां मुसलमानों को चाहिए कि हुकूमत से मीरास की व्यवस्था को लागू करने की मांग की जाए। इसके लिए शान्तिपूर्ण संघर्ष किया जाए और जब तक ऐसी व्यवस्था क़ानूनी तौर पर लागू न हो, समाज सेवा के तौर पर इसे लागू करने का प्रयास किया जाए।

2- जिन देशों में इस्लाम का क़ानून मीरास जारी नहीं है और वसीयत के बिना वारिसों को उनका शरअी हक़ न मिल सके, वहां इस तरह का वसीयत नामा लिखना वाजिब होगा जो घर वाले की मौत के बाद शरअी क़ानून के अनुसार माल का बांटने का साधन बन सके अलबत्ता वह वसीयत नामे को लागू कराने के लिए अपनी ज़िन्दगी में किसी को वकील (वसी) बना दे ताकि उस की वसीयत के बाद यदि वारिसों में वृद्धि या कमी हो जाए तो शरीअत के हुक्म के अनुसार कमी व बढ़ौतरी का हक़ उसे हासिल रहे।

3- वारिसों के हिस्सों का जो शरअी दृष्टि से सही हो वसीयत नामा लिखना हदीस ''ला वसीयत लिवारिसु'' (वारिस के लिए वसीयत का भरोसा नहीं) के खिलाफ़ न होगा क्योंकि इस हदीस का चरितार्थ वह वसीयत है जिसमें किसी वारिस को हानि पहुंचाना अभिप्राय हो।

4- वारिस के हक़ में शरअी हक़ से अधिक की वसीयत करना सही नहीं, अलबत्ता यदि दूसरे वारिस राज़ी हों तो इसका भरोसा होगा और वारिसों की यह रज़ामन्दी वसीयत करने वाले की मौत के बाद ही विश्वसनीय मानी जाएगी।

5- कोई मुसलमान किसी काफ़िर और कोई काफ़िर किसी मुसलमान का शरअी तौर पर वारिस नहीं हो सकता।

6- ऐसे ग़ैर मुस्लिम देश जहां मुसलमान से ग़ैर मुस्लिम क़राबतदार को और ग़ैर मुस्लिम से मुसलमान क़राबतदार को राष्ट्रीय क़ानून के अनुसार मौत के बाद छोड़े हुए माल में हिस्सा दिलाया जाता हो, वहां मुसलमान के लिए इस हैसियत से उसका लेना जायज़ होगा कि उसे हुकूमत की ओर से यह माल प्राप्त हो रहा है।

7- छोड़े हुए माल के बांटने में मतभेदों से बचने के लिए यदि मरने वाला अपने जीवन में ही अपने माल की शरअी हिस्सेदारी के अनुसार बांटने के लिए कोई नोट लिख दे तो जायज़ है, अलबत्ता यदि वारिस की मौत से पहले वारिसों की संख्या में वृद्धि या कमी हो जाए तो इस नयी स्थिति के अनुसार माल बांटा जाएगा।

8- पति के बे औलाद होने की स्थिति में यदि पत्नी के अलावा कोई शरअी वारिस न हो तो पत्नी दो तरह से माल की हक़दार होगी। एक अपने शरअी हिस्से के हिसाब से, दूसरे मीरास के ज्ञान की परिभाषा के अनुसार अर्थात --मंय युदहु अलैहिम'' में दाखिल होने के कारण। लेकिन यदि पति अपनी विधवा का हक़

सुरक्षित रखने के लिए कोई तहरीर भी लिख दे तो कोई हरज नहीं।

9- ग़ैर वारिस के लिए एक तिहाई तक वसीयत करने में वारिसों की रज़ा मन्दी की ज़रूरत नहीं।

10- वारिस के लिए वसीयत करने की सूरत में या ग़ैर वारिस के लिए एक तिहाई माल से अधिक की वसीयत की शक्ल में मोरिस के जीवन में वारिसों की इजाज़त काफ़ी नहीं है। उसके मरने के बाद तमाम वारिसों की रज़ा मन्दी ज़रूरी है।